न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 33/2016 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

— प्रार्थी

बनाम

1- श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल मालिक/विक्रेता मैसर्स – होटल न्यू, अजूबा, जी–19, रिको इण्डिस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा स्थाई पता -- 17–ए–15, पीएनटी, रोड, बापूनगर भीलवाडा

——विपक्षी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित

आदेश

दिनांक 27.04.2017

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षैत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल मालिक/विक्रेता मैसर्स होटल न्यू, अजूबा, जी–19, रिको इण्डिस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् दाल, चपाती, सब्जी, दही इत्यादि का विक्रय कर रहा था। मौके पर विक्रेता/मालिक के होटल की किचन का निरीक्षण करने पर पाया कि एक स्टील की टंकी मे लगभग 12–14 किलो गेहूँ आटा रखा हुआ था। उक्त गेहूँ के आटे का प्रयोग आम जनता को विक्रय की जाने वाली चपातियों में किया जा रहा था। स्टील की टंकी में रखे हुए गेहूँ के आटे मे मिलावट का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म V-A में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार गेहूँ का आटा का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना अनसेफ होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर प्राप्त जाँच रिपोर्ट मय अग्रेषण पत्र रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अधीन

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट से असन्तुष्ट होते हुए खाद्य नमूने की पुन जाँच रेफरल प्रयोगशाला से करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा स्वीकार कर खाद्य नमूना पुन जाँच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद को भिजवाया गया। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जाँच रिपोर्ट में लिया गया खाद्य नमूना गेहूँ का आटा सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट की प्रति विपक्षीगण संख्या 01 रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विपक्षीगण संख्या 01 के विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने की स्वीकृति बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकरी भीलवाडा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। स्वीकृति प्राप्त कर विपक्षीगण संख्या 01 विरूद्व न्याय निर्णयन आवेदन पेश किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म 5-A की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, प्राप्त खाद्य एवं मानक प्रयोगशाला की जाँच रिपोर्ट, विक्रेता/मालिक द्वारा प्रस्तुत अपील, रेफरल खाद्य प्रयोगशाला से जाँच रिपोर्ट, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई। न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.05.2015 को समय 1:50 PM बजे बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स होटल न्यू, अजूबा, जी–19, रिको इण्डिस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा पर पहुंचा। मैंने विक्रेता को परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल उम्र 58 वर्ष, जाति तोषनीवाल, निवासी 17 ए–15, पीएनटी, रोड, बापूनगर भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु दाल, चपती, दही, इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2015 का खाद्य लाईसेन्स मांगा गया। किन्तु विक्रेता द्वारा नहीं बताया गया एवं शीघ्र ही आवेदन करने हेतु कहा गया।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ स्टील की टंकी में रखे हूए गेहूँ का आटा को एक साफ सूखी स्टील की चम्मच से अच्छी तरह से मिलाकर एक रूप किया इस एक रूप शुदा गेहूँ के आटे से दो किलो आटा एक साफ सुखे खाली स्टील के भगोने में तुलवाकर खरीदा एव इस बाबत 40/– रू अक्षरे चालीस रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की, रसीद ली ।

इन खरीदशुदा चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–927 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैनें स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–927 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. जगदीश चन्द्र जीनगर द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेदें तक एवं पेदें से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना

भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सीड्ल नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना संख्या एक्स –927 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागों को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.437/ACT/2015/454 दिनांक 10.07.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, गेहूँ का आटा निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण अनसेफ (Unsafe) होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 46(4) के अधीन खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट से असन्तुष्ट होते हुए खाद्य नमूने की पुन जाँच रेफरल प्रयोगशाला से करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा स्वीकार कर खाद्य नमूना पुन जाँच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद को भिजवाया गया। रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जाँच रिपोर्ट में लिया गया खाद्य नमूना गेहूँ का आटा सब स्टेण्र्डड होना पाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट की प्रति विपक्षीगण संख्या 01 रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल विकेता/मालिक मैसर्स होटल न्यू अजूबा, जी–19, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा (राज.) द्वारा सबस्टेण्र्डड गेहूँ का आटा का विक्रय कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 23.05.2016 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 23.05.2016. को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 23.06.2016 को कार्यालय हाजा में स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार उपस्थित । विपक्षी एवं विपक्षी अधिवक्ता अनुपस्थित है।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना गेहूँ का आटा खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट में अनसेफ होना पाया गया है । खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट से असन्तुष्ट होते हुए खाद्य नमूने की पुन जाँच रेफरल प्रयोगशाला से करवाने हेतु अपील प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा स्वीकार कर खाद्य नमूना पुन जाँच हेतु रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद को भिजवाया गया।

रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद की जाँच रिपोर्ट में लिया गया खाद्य नमूना गेहूँ का आटा सब स्टेण्र्डड होना पाया गया। जिसकी जाँच रिपोर्ट की प्रति विपक्षीगण संख्या 01 रजिस्ट्रर्ड डाक द्वारा भिजवाई गई। चूंकि लिये गये खाद्य नमूने की जाँच विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद द्वारा करवा ली गई। इसलिए नियमानुसार रेफरल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट की अन्तिम रिपोर्ट पढ़ी जाये। **रेफरल खाद्य प्रयोगशाला द्वारा प्राप्त जाँच रिपोर्ट एल्कोहल एसीडिटी 0.18 प्रतिशत अधिकतम होनी चाहिए। इसके स्थान पर एल्कोहल एसीडिटी 0.26 प्रतिशत पाई गई इसलिए लिया गया नमूना सब स्टेण्र्डड होना पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन है। एवं जिसकी सजा धारा 51 में वर्णित है।** अतः आरोपी पर जुर्माना लगाने का निवेदन किया गया।

पत्रावली मे विभागीय पैरोकार की बहस सुनी गयी । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । **विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए खाद्य प्रयोगशाला अजमेर की जाँच रिपोर्ट से असंतुष्ट होते हुए खाद्य नमूने की जाँच रेफरल खाद्य प्रयोगशाला गाजियाबाद में करवाई गई वहां भी लिया गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया। चूंकि लिया गया खाद्य नमूना सब स्टेण्डर्ड होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल विक्रेता/मालिक मैसर्स होटल न्यू अजूबा, जी–19, रिको इण्डस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा सब स्टेण्डर्ड गेहूँ का आटा का विक्रय करने के लिये दोषी है ।** इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सब स्टेण्डर्ड खाद्य प्रदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लघंन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 30,000 रू. (अक्षरे तीस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 3 माह के अन्दर कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय आज दिनांक 27.04.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/4/17

(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाए राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री रामरतन तोषनीवाल पुत्र श्री तोलनराम तोषनीवाल विक्रेता/मालिक
मैसर्स – होटल न्यू, अजूबा, जी–19, रिको इण्डिस्ट्रीयल एरिया, पुर रोड, भीलवाडा
स्थाई पता – 17 ए–15, पीएनटी, रोड, बापूनगर भीलवाडा

27/4/17

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)